राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन हेतू

राज्यों के खाद्य मन्त्रियों एवं सचिवों

के सम्मेलन में

# श्री महेन्द्र प्रताप सिंह

खाद्य एंव पूर्ति मन्त्री, हरियाणा

का

अभिभाषण

**30th September and 1st October, 2013**

**A.P. Shinde Symposium Hall,**

**NASC Complex, ICAR, Pusa, New Delhi**

परम आदरणीय केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रो0 के0वी0 थामस जी, विभिन्न प्रदेशों से पधारे आदर के योग्य खाद्य मंत्रिगण, आदरणीय खाद्य सचिव, भारत सरकार, विभिन्न राज्यों से आए खाद्य सचिव, केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकारीगण तथा इस सभा में उपस्थित प्रतिष्ठित महानुभाव।

राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों तथा खाद्य सचिवों का यह अधिवेशन कल से चल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान, नये राशन कार्ड जारी करना, महिला सशक्तिकरण, खाद्यान्न की डोर स्टैप डिलीवरी, कष्ट निवारण व्यवस्था, वितरण व्यवस्था का कम्पयूटरीकरण, भण्डारण स्थल का विस्तार, नये राशन डिपूओं का खोला जाना, निगरान कमेटियों तथा पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी, चीनी तथा मिट्टी के तेल के लिये लाभार्थियों की पहचान तथा केन्द्र एवं राज्यों के आर्थिक सहयोग इत्यादि विषयों पर बात हो गई होगी। मै समस्त भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के सफल संचालन की मनोकामना करता हूँ।

किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा मुख्यत: दो बातों पर निर्भर करती है। पहले तो देश की जनसंख्या के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन होना चाहिए, दूसरा उत्पादित खाद्यान्न का वितरण नागरिकों में, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों में इस प्रकार से होना चाहिए कि वे इसे मामूली दरों पर प्राप्त कर सकें।

जहाँ तक खाद्यान्न के उत्पादन का प्रश्न है, हरियाणा क्षेत्रफल के अनुसार देश का एक छोटा सा प्रांत है। इसका क्षेत्रफल मात्र 44,212 वर्ग किलोमीटर है तथा यह देश के क्षेत्रफल का 1.5 प्रतिशत से भी कम है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा राज्य का स्थान देश के 35 प्रांतों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में बीसवां है। फिर भी मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि किसानों के अटूट परिश्रम के कारण हम पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय पूल में गेहूँ, चावल तथा बाजरे का योगदान देने में सारे देश में दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस प्रकार हरियाणा ने देश की खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है तथा यह योगदान आने वाले समय में भी जारी रहेगा।

जहाँ तक खाद्यान्न के वितरण का प्रश्न है, देश में जन वितरण प्रणाली 1940 के दशक में शुरू की गई। इस प्रणाली के लगभग 60 साल के इतिहास में अब वह अवसर आया है जब गरीब उपभोक्ताओं को अनाज बहुत ही मामूली दरों पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। इस दिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एक ऐतिहासिक पहल है, जिसके लिये मैं माननीय अध्यक्षा यू.पी.ए. श्रीमति सोनिया गाँधी जी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, डॉ. मनमोहन सिंह जी तथा माननीय खाद्य मंत्री, भारत सरकार प्रो. के0वी0 थामस जी का धन्यवाद करना चाहूँगा।

दिनांक अगस्त 20, 2013 को हरियाणा के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का शुभारंभ किया जा चुका है। उसी दिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी जी का जन्म दिवस था। श्री राजीव गाँधी जी ने गरीबी, भूख तथा अज्ञानता रहित सक्षम, सशक्त तथा शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, जिसे इस अधिनियम के साथ पूरा करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत देश के आम

नागरिकों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। हरियाणा में इस योजना का फायदा एक करोड़ छब्बीस लाख से भी अधिक लोगों को होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, अन्त्योदय अन्न योजना में आने वाले दो लाख बहत्तर हजार परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूँ प्रति माह मात्र 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाकी लाभार्थियों को भी 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 रूपये की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले बी.पी.एल. परिवारों को गेहूँ 5.20 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होता था। जहाँ एक तरफ हरियाणा में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 54.41 लाख से बढ़कर एक करोड़ छब्बीस लाख से भी अधिक हो जायेगी, वहीं उन्हें मिलने वाले गेहूँ की कीमतों में बहुत कमी करके, इस व्यवस्था को आम नागरिक की आशाओं के अनुरूप बनाया गया है। महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि परिवार की सबसे बड़ी महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, उसे खाद्यान्न प्राप्त करने के मामले में घर की मुखिया माना जाये। भोजन के साथ-साथ पोषणता का ध्यान रखते हुए अधिनियम के अन्तर्गत यह भी निर्णय लिया गया है कि गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं को 6,000 रूपये मातृत्व लाभ भी दिया जाये। छोटे बच्चों को देश का भविष्य मानते हुए यह फैसला किया गया है कि 6 महीने से 14 वर्ष तक आयुवर्ग के बच्चों को पका हुआ खाना आंगनबाड़ी तथा स्कूलों के माध्यम से मुहैया करवाया जाये।

अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, पहले की लक्षित जन वितरण प्रणाली से अलग कैसे है? यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इस अधिनियम

के अन्तर्गत पात्रता को अधिकार का दर्जा दिया गया है। यदि पात्र नागरिकों को किसी भी कारण से अनाज की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो सरकार उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी। इस योजना को लागू करने में यदि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोताही बरती जाती है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था की गई है। हरियाणा में राशन कार्ड को अब खाद्य सुरक्षा कार्ड का नाम दिया गया है। कोई भी खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक, यदि उसे उसके अधिकार नहीं मिलते हैं तो वह इस बारे में जिला उपायुक्त, जिन्हें इस अधिनियम के तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी भी बनाया गया है, को शिकायत करके समस्या का समाधान करवा सकता है। राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। यदि कोई लाभार्थी जिला शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह फैसलें के विरूद्ध राज्य खाद्य आयोग में अपील करने का अधिकार भी रखता है।

हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा दाल-रोटी योजना को भी लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और अन्त्योदय अन्न योजना परिवारों को 2.5 किलोग्राम दाल प्रतिमास 20 रूपये प्रति किलोग्राम की मामूली दर पर उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया। कुछ कानूनी अड़चनों के कारण हम इस योजना को मास अगस्त, 2013 मे लागू नहीं कर पाये। परन्तु अब यह अड़चने दूर हो गई हैं। मास अगस्त तथा सितम्बर की दाले अब सभी लाभार्थियों को मुहैया करवाई जा रही है।

फील्ड से मिली रिपोर्टों अनुसार गरीब उपभोक्ताओं ने इस योजना का स्वागत किया है तथा उन्हें मिलने वाली दाल की क्वालिटी की भी प्रशंसा की है।

इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तथा हरियाणा सरकार की दाल-रोटी योजना एक ऐतिहासिक शुरूआत है। श्रीमति सोनिया गाँधी माननीय अध्यक्षा, यू.पी.ए. ने कहा था कि "देश के हर नागरिक को भरपेट अन्न मुहैया करवाना यू.पी.ए. सरकार का सपना रहा है।" माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्राथमिकताओं को गिनवाते हुए कहा था, "मेरी मुख्य प्राथमिकता भारत की आर्थिक व सामाजिक समस्याओं से निपटना है ताकि गरीबी तथा कुपोषण का कम से कम समय में उन्मूलन किया जा सके।" इस अधिनियम के साथ-साथ दाल-रोटी योजना का सफल संचालन कर हम इन महान नेताओं के सपनों को पूरा करेंगे।

ऐसा मै इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पहले हम 12.84 लाख परिवारों, जिनकी सदस्य संख्या 54.41 लाख थी, को खाद्यान्न (गेहूँ) सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रहे थे। अब इस अधिनियम के अन्तर्गत हम 29.84 लाख परिवारों को, जिनकी सदस्य संख्या 126.49 लाख है, को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवायेगें। इस तरह 17.00 लाख परिवारों तथा 72.08 लाख सदस्यों का इजाफा वितरण प्रणाली में किया गया है। जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हरियाणा में पहले गेहूँ का उठान (offtake) लगभग 43000 टन प्रति मास था। अब इस अधिनियम के अन्तर्गत यह उठान 67000 टन प्रति मास होगा।

मैं विशेषरूप से बताना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से खाद्यान्न पर पहले लाभार्थियों को 618 करोड़ रूपये का फायदा होता था, अब यह फायदा 1126.80 करोड़ रूपये तक बढ़ जायेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती 72.08 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान प्राथमिकता परिवारों के रूप में करने की है। इसके लिये हमने व्यापक मापदण्ड रखे हैं ताकि ठीक लोग ही इसमें आ सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहचान लोगों द्वारा खुद दी गई जानकारी पर आधारित होगी। इस संदर्भ में लगभग 80 प्रतिशत काम हो चुका है। इस काम को पूरा करने बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का फायदा पूरे 126.49 लाख लोगों को मिलेगा।

आज इस अधिवेशन में मैं एक मुद्दा विशेष रूप से उठाना चाहता हूँ, जो कि डिपूधारकों को दिये जाने वाले मार्जन से संबंधित है। जब तक डिपूधारकों को दिया जाने वाला मार्जन व्यवहारिक नहीं हो जाता, तब तक उनसे वितरण व्यवस्था में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हरियाणा में पहले डिपूधारकों को बांटी जाने वाली गेहूँ पर 18.00 रूप्ये प्रति किवंटल व खाली बोरी का मार्जन मिलता था। यह मार्जन 1997 में निर्धारित किया गया था। यह मुद्दा हरियाणा विधान सभा के ध्यानाकर्षण में लाया गया। हमने फरवरी, 2013 से बी.पी.एल. गेहूँ पर इस मार्जन को 18.00 से बढ़ाकर 48.00 रूपये प्रति किवंटल कर दिया था। मिट्टी के तेल तथा चीनी पर दिये जाने वाले मार्जन में बढौतरी भी हरियाणा सरकार के विचाराधीन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार डिपूधारकों के मार्जन को वहन करेगी। इस संदर्भ में हमने सभी पक्षों से बात की है।

हमारा मानना है कि खाद्यान्न पर कम से कम 0.60 पैसे प्रति किलो की दर से डिपूधारकों को मार्जन मिलना चाहिये। इसी प्रकार वितरण व्यवस्था में थोक विकेता, परिवहन तथा अन्य खर्चे भी 0.60 पैसे प्रति किलो की दर से आते हैं। इसमें खाद्यान्न की डोर स्टैप डिलीवरी भी शामिल है। अत: मै केन्द्रीय सरकार से मांग करूंगा कि प्रति किलो 1.20 पैसे का यह खर्चा, केन्द्र सरकार वहन करे। यह खर्चा राज्यों को अग्रिम रूप से मिलना चाहिये। जैसा कि आप जानते है कि हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, 20 अगस्त, 2013 से लागू कर दी गई थी, परन्तु अभी तक इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप डिपूधारकों तथा परिवहन ठेकेदारों में एक स्वभाविक रोष है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के सफल संचालन के लिये इस मुद्दे का सकारात्मक समाधान किया जाना अति आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि माननीय केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जी हमारे इस सुझाव पर अवश्य विचार करेंगे।

अन्त में मै इस अधिवेशन के सफल संचालन के लिये आयोजकों को बधाई देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, आम उपभोक्ताओं को गरीमा के साथ जीने का अधिकार देते हुये, हमारे महान नेताओं ने देश के लिये जो सपने देखे थे, उन्हें साकार करेगा।

धन्यवाद,

जय हिन्द!